Toppersnotes®

Unleash the topper in you

BPSC

सिविल सेवा परीक्षा

भारतीय राजव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

भारतीय राजव्यवस्था

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ	1
2.	प्रस्तावना	7
3.	संविधान की मुख्य विशेषताएँ	9
4.	संघ और उसके क्षेत्र	12
5.	नागरिकता	16
6.	मौलिक अधिकार	25
7.	राज्य के नीति के निदेशक तत्व	44
8.	मौलिक कर्त्तव्य	50
9.	संवैधानिक संशोधन	52
10.	संविधान की मूल संरचना	54
11.	संसदीय प्रणाली	58
12.	संघीय प्रणाली	60
13.	केन्द्र राज्य संबंध	63
14.	अंतर्राज्यीय संबंध	73
15.	आपातकालीन प्रावधान	77
16.	राष्ट्रपति	81
17.	उपराष्ट्रपति (उपाध्यक्ष)	87
18.	प्रधान मंत्री	89
19.	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्	91
20.	संसद	95
21.	राज्यपाल	125
22.	मुख्यमंत्री	130
23.	राज्यमंत्री परिषद	132
24.	राज्य विधानमंडल	134
25.	कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान	143
26.	केंद्र शासित प्रदेश	146
27.	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	148
28.	पंचायती राज	150

29.	नगरपालिका, नगर निगम	**157**
30.	भारतीय न्यायिक प्रणाली	**163**
31.	संवैधानिक निकाय	**180**
32.	गैर-संवैधानिक उपाय	**196**
33.	अन्य संवैधानिक आयाम	**211**
34.	विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	**221**
35.	निर्वाचन	**223**
36.	राष्ट्रीय एकीकरण	**235**

1
CHAPTER

भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ

- संविधान **नियमों, उपनियमों** का एक ऐसा **लिखित दस्तावेज** है-
  - जिसके अनुसार **सरकार का संचालन** किया जाता है।
  - जो **देश की राजनीतिक व्यवस्था** का **बुनियादी ढाँचा** निर्धारित करता है।
  - जो **राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** की स्थापना, उनकी **शक्तियों तथा दायित्वों** का सीमांकन एवं **राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन** करता है।

संविधान के कार्य

- **राजनीतिक समुदाय** की **सीमाओं** को **घोषित और परिभाषित** करना।
- राजनीतिक समुदाय की **प्रकृति और अधिकार** को **घोषित और परिभाषित** करना।
- एक **राष्ट्रीय समुदाय** की **पहचान और मूल्यों को व्यक्त** करना।
- नागरिकों के **अधिकारों और कर्तव्यों** की घोषणा करना और उन्हें **परिभाषित** करना।
- सरकार की **विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ** स्थापित करना।
- **सरकार या उप-राज्य समुदायों** के विभिन्न स्तरों के बीच **शक्ति का वितरण** करना।
- राज्य की **आधिकारिक धार्मिक पहचान** घोषित करना|
- विशेष रूप से **सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों** के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना

भारत के संविधान का विकास

भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 *** कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया।**	• **बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी** को **बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन** • बंगाल प्रेसिडेंसी में **गवर्नर जनरल** व **चार सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद** की **स्थापना** • इस एक्ट के तहत **बंगाल** के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड **वारेन हेस्टिंगस** थे। • **बंगाल** के गवर्नर को **तीनों प्रेसीडेन्सियों** का **गवर्नर जनरल** कहा जाता था। • **भारत में केन्द्रीय प्रशासन** की नींव रखी। • **कलकत्ता** में एक **सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)** की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे। • **भारत** में कंपनी के **राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों** के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए **कंपनी के निदेशक मंडल** को **आवश्यक कर** दिया।
संशोधन अधिनियम (बंदोबस्त कानून), 1781	• **1781** के संशोधन अधिनियम ने **सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** से **गवर्नर जनरल** तथा **काउंसिल** को **मुक्त** करने के साथ ही **कंपनी के लोक सेवकों के द्वारा अपने कार्यकाल में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया।** • **कलकत्ता** के सभी **निवासियों** को **न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** के **अंतर्गत कर** दिया गया और न्यायालय द्वारा हिन्दू व मुस्लिमों को उनके निजी कानूनों के हिसाब से मामलें तय करने की व्यवस्था की गई। • **न्यायालय** को **प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून** का प्रशासन करने का अधिकार था।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	• **द्वैत शासन प्रणाली** की स्थापना की। ○ कंपनी के **वाणिज्यिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **निदेशक मंडल को अनुमति** दी| ○ अपने **राजनीतिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **नियंत्रण बोर्ड** नामक निकाय का गठन किया गया। • ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई।
चार्टर अधिनियम, 1813	• भारत में **कंपनी** के **व्यापार एकाधिकार को समाप्त** किया गया। ○ **अपवाद-** चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया। • **कर लगाने** के लिए **स्थानीय सरकारो** को **अधिकृत** किया।

चार्टर अधिनियम, 1833	• **बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल (GGI) बना।**
	• भारत के **प्रथम गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)।**
	  ○ सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया।
	  ○ संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ।
	• कंपनी → विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी।

चार्टर अधिनियम, 1853	• **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)** की परिषद के **विधायी और प्रशासनिक** कार्यों का पृथक्करण किया गया। • गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद् नाम दिया गया जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया। • भारतीयों के लिए भी **भारतीय सिविल सेवाओं** के लिए **खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई, और इसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई।** • भारतीय (केंद्रीय) **विधान परिषद्** में **स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ** किया। (6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जायेंगें।)

भारत में क्राउन रूल (1858 से 1947)

भारत सरकार अधिनियम, 1858	• ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। • **इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम** भी कहा जाता है। • **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)** के पद को **भारत का वायसराय पदनाम दिया गया (प्रथम वायसराय - लॉर्ड कैनिंग)।** ○ **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)-** भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। • **बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स** को समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया। • **भारत** के **राज्य सचिव**, पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। • **भारत सचिव** की सहायता के लिए **15 सदस्यीय भारतीय परिषद** का गठन किया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861	• वायसराय द्वारा विधान परिषद में भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए व्यवस्था की गई। (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव) • **बंबई** और **मद्रास प्रेसीडेंसी** को **विधायी शक्तियाँ** देकर **विकेंद्रीकरण** की **शुरुआत** की गई। • बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए **नई विधान परिषदों** की **स्थापना** की। • वायसराय द्वारा परिषद के लिए नियम और आदेश बनाए जाएँगे | ○ लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियों प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। • वायसराय को आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892	• **केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों** में **गैर-सरकारी सदस्यों** की **संख्या** में **वृद्धि** की गई। • विधान परिषदें **बजट** पर **चर्चा** कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया | • **केंद्रीय विधान परिषद् और बंगाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स** में **गैर सरकारी सदस्यों** के **नामांकन** के लिए **वायसराय की शक्तियों** का **प्रावधान |** • इसके अलावा **प्रांतीय विधान परिषदों** में **गवर्नर** को **जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स** की सिफ़ारिशो पर **गैर-सरकारी सदस्यों** को **नियुक्त** करने की शक्ति थी |
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909	• **मॉर्ले-मिंटो सुधार** भी कहा जाता है। • केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या एक समान नहीं थी।

	• दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे। • वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। (**सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय) • मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान।
भारत सरकार अधिनियम, 1919	• **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार** भी कहा जाता है। • **केंद्रीय** और **प्रांतीय विषयों** का पृथक्करण किया गया। • **हस्तांतरित प्रांतीय विषय-** विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शासित| • **आरक्षित प्रांतीय विषय-** गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासित। • देश में **द्विसदनीय व्यवस्था** और **प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था** की शुरुआत की। • वायसराय की **कार्यकारी परिषद** के **6** में से **3 सदस्यों** का **भारतीय** होना **अनिवार्य** था । • सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी **पृथक निर्वाचक मंडल** की व्यवस्था। • **संपत्ति, कर** या **शिक्षा** के आधार पर लोगों को **मताधिकार** प्रदान करना। • लंदन में भारत के **उच्चायुक्त का कार्यालय** बनाया गया। • **सिविल सेवकों** की **भर्ती** के लिए **एक केंद्रीय सेवा आयोग** की स्थापना। • प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया।

भारतसरकार अधिनियम, 1935	• अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य और रियासतें एक इकाई के रूप में थी।
	• शक्तियों का तीन सूचियों में पृथक्करण किया गया:
	  ○ संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय)
	  ○ राज्य सूची (राज्य के लिए, 54 विषय)
	  ○ समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)।
	• अवशिष्ट शक्तियाँ: वायसराय में निहित किया गया।
	• प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई।
	  ○ प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई।
	• केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था।
	• 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई।
	• दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया।
	• भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया।
	• भारत की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
	• संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना ।
	• 1937 में संघीय-न्यायालय की स्थापना की गई।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	• माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। • भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। • 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। • ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। • संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया | • भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सभी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया।

	• सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। • इंग्लैंड के राजा से 'भारत के सम्राट' की उपाधि को समाप्त कर दिया गया । • गवर्नर जनरल को विधेयकों को स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया लेकिन किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। • भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

संविधान सभा

भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान-

- कुल सदस्य = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत।
  - 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं।
    - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से 292 सदस्य
    - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से 4 सदस्य
  - देसी रियासतों को 93 सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गई ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) के बीच विभाजित किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव → एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन - रियासतों के प्रमुखों द्वारा।
- सदस्यों का चयन - अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।
- जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 में हुआ।
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजयी,
  - मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजयी,
  - 15 सीटों पर निर्दलीय प्रतिनिधियों विजयी।
- रियासतों ने स्वयं को संविधान सभा से पृथक रखने का निर्णय लिया इसलिए उनकी सीटें नहीं भरी गई|
- संविधान सभा में समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन तत्कालीन प्रमुख हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- 28 अप्रैल, 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए।
- 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद अधिकांश रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया, बाद में भारतीय अधिराज्य से मुस्लिम लीग भी संविधान सभा में शामिल हुई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- पहली बैठक- 9 दिसंबर, 1946, केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।
- मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की माँग की।
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे वरिष्ठ सदस्य) संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए।
- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी के रूप में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया । जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
  - भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा।
  - भारत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी संविधान सभा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाएँ होगी तथा जिनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों के अलावा सारी शक्तियां इन राज्यों में निहित होंगी।
  - संप्रभु स्वतंत्र भारत को सभी शक्तियाँ और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होंगे।
  - भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता और कानून के समक्ष विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संघ और कार्य की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  - न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों की अखंडता बनाए रखी जाएगी।
  - इस देश को दुनिया में अधिकार और सम्मानित स्थान दिलाया जायेगा साथ ही विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान दिया जायेगा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तन

- संविधान सभा → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया |
- संविधान सभा: एक विधायी निकाय बन गया। जो कि `संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार।
    - संविधान सभा के रूप में → डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में।
    - एक विधायिका के रूप में → जी.वी. मावलंकर की अध्यक्षता में (26 नवंबर, 1949 तक)।
- मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गई।
    - संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटाकर 299 रह गई।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
- 22 जुलाई, 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया लेकिन 26 जनवरी, 1950 से 1951-52 में पहले आम चुनाव होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा।

संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	**अध्यक्षता**
प्रमुख समितियाँ	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
	संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति – 5 उप समितियाँ	सरदार पटेल
	(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे. बी. कृपलानी
	(ii) अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी
	(iii) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र (असम के अलावा) और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बरदोई
	(iv) बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा) उप-समिति	ए. वी. ठक्करी
	(v) उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप-समिति	
	राज्यों के लिए समिति (राज्यों के समझौता करने के लिए)	जवाहर लाल नेहरु
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	प्रत्यायक समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
	सदन समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	कार्य संचालन समिति	डॉ. के.एम. मुंशी
	संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिये तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (सभा के सदस्य नहीं थे)
	राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति	नलिनी रंजन सरकार (सभा के सदस्य नहीं थे)
	भाषाई प्रांत आयोग	एस. के. डार (सभा के सदस्य नहीं थे)

	प्रारूप संविधान की जाँच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (जो सभा के सदस्य नहीं थे)
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन

प्रारूप समिति-

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।
- समिति सदस्य : 7
  - अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगर।
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
  - डॉ. के.एम. मुंशी।
  - सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
  - एन. माधव राव (बी. एल. मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर उनकी जगह ली)।
  - टी. टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)।
- फरवरी, 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया।
- अक्टूबर, 1948 में दूसरा प्रारूप हुआ।

संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया।
- संविधान पहली बार पढ़ा गया, और पाँच दिन तक आम चर्चा हुई।
- संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- तीसरी बार 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- 26 नवंबर, 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ निहित थी।

संविधान का प्रवर्तन-

- 395 अनुच्छेद |
- 8 अनुसूचियाँ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू। तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 (गणतन्त्र दिवस) को लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट (1949) लागू रहा।

संविधान सभा की आलोचना-

- प्रतिनिधि निकाय नहीं - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ।
- एक संप्रभु निकाय नहीं - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- अमेरिकी संविधान (केवल 4 महीने) की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा|
- कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
- वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा।
- हिंदुओं का वर्चस्व रहा।

- एस .एन. मुखर्जी - संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा - सुलेखक (कैलिग्राफर) - संविधान के मूल शब्दों को प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया।
- नंद लाल बोस और बिउहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया।
- हिंदी संस्करण की सुलेख = वसंत कृष्ण वैद्य।
  - सजाया और प्रकाशित = नंद लाल बोस।
- हाथी- संविधान सभा की प्रतीक मुहर।
- मूल रूप से भारत के संविधान में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया था।
  - हिंदी प्रारूप- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-क जोड़ा गया।

2
CHAPTER

प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

- संविधान का परिचय या प्रस्तावना,संविधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- संविधान के आधार के रूप में बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है।
- संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- शेष संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया था।
- न ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही कोई निषेधक।
- गैर-न्यायसंगत कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं।
- बुनियादी ढाँचे को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है।

प्रस्तावना के मूल तत्व

- संविधान के अधिकार का स्त्रोत → भारत के लोग।
- भारत की प्रकृति भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
- संविधान को अपनाने की तिथि - यह तारीख 26 नवंबर, 1949 है।

प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द

- **संप्रभुता** - पूर्ण संप्रभु सरकार वह है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है तथा अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के निष्पादन में स्वतंत्र है। संप्रभु हुए बिना किसी देश का अपना संविधान नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु देश है। यह किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है।
- **समाजवादी** - मूल संविधान का हिस्सा नहीं।
  - 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
  - आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।
  - असमानताओं को दूर करने, सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- **धर्मनिरपेक्षता** - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  - भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म विरोधी है।
  - कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं- राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।
- **लोकतांत्रिक गणराज्य** - सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है।
  - लोकतांत्रिक प्रावधान - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार।
  - गणतंत्र - राज्य का निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति → प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) ब्रिटेन जैसा वंशानुगत शासक नहीं।
- **न्याय** - लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के संदर्भ में वे क्या हकदार हैं।
  - रूसी क्रांति (1917) से न्याय के तत्वों को लिया गया है।
  - न्याय के तीन आयाम- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
    - **सामाजिक न्याय** - जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।

Topper's Notes
Unleash the topper in you

- **आर्थिक न्याय** - आर्थिक कारकों पर गैर-भेदभाव।

सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = 'वितरणात्मक न्याय'

- **राजनीतिक न्याय** - सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच और सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार ।

- **स्वतंत्रता** - विचार और अभिव्यक्ति की व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।
  - फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से लिया गया।
- **समानता** - समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।
  - समानता के तीन आयाम- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
- **बंधुत्व** - भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता की व्यवस्था और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

बेरुबारी संघ बनाम अज्ञात मामला, 1960	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973	केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामले , 1995
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय के न्यायालय में सीधे लागू करने योग्य नहीं है।

ToppersNotes Unleash the topper in you

3 CHAPTER

संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- सबसे लंबा लिखित संविधान - इसमें शामिल हैं -
  - केंद्र और राज्यों व उनके अंतर्संबंधो के लिए अलग प्रावधान।
  - दुनिया के कई स्रोतों और संविधानों से लिए गये प्रावधान।

देशों	भारतीय संविधान की अन्य संविधानों से प्रेरित विशेषताएँ
ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
कनाडा	• एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था • केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना • केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति • उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
आयरलैंड	• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
सोवियत संघ/रूस	• मौलिक कर्तव्य • प्रस्तावना में न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
ब्रिटेन	• संसदीय सरकार • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • कैबिनेट प्रणाली • परमाधिकार रिट • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदन
जापान	• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
अमेरिका	• मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना • उपराष्ट्रपति का पद
जर्मनी (वाइमर)	• आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	• भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
फ्रांस	• गणतंत्र • प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श

  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान।
  - अधिकारों की विस्तृत सूची, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और प्रशासन प्रक्रियाओं का विवरण।
  - मूल रूप से (1949) में एक प्रस्तावना, 395 लेख (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियां थीं।
  - वर्तमान (2019) में, इसमें एक प्रस्तावना, 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
- कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण -
  - कुछ हिस्सों में सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
  - कुछ संशोधनों को राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता होती है।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में- भारत अपने लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासित होता है।
- सरकार की संसदीय प्रणाली- संसद मंत्रिपरिषद के कामकाज को नियंत्रित करती है।
  - कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है।
    - भारत के राष्ट्रपति, जो पांच साल तक पद पर बने रहते हैं, नाममात्र, नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख (कार्यकारी) होते हैं।
    - पीएम वास्तविक कार्यकारी और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं जो सामूहिक रूप से निचले सदन (लोकसभा) के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- एकल नागरिकता- संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल नागरिकता को पूरे भारत में सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है जो 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर कार्य करता है।
    - प्रत्येक भारतीय जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, किसी जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।
- स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली- कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त।
    - न्याय व्यवस्था के शीर्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जिसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
- मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत -
    - मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, लेकिन स्वयं संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के अधीन हैं और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।
    - राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन के संबंध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं और न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।
    - 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य नैतिक विवेक हैं जिनका नागरिकों को पालन करना चाहिए।
- एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ संघ- भारत विनाशकारी राज्यों के साथ एक अविनाशी संघ है। जिसका अर्थ है कि यह आपातकाल के समय एकात्मक चरित्र प्राप्त करता है।
- न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय सर्वोच्चता को संतुलित करना- न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ

भाग	विषय - वस्तु	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसके क्षेत्र	1- 4
II	नागरिकता	5 - 11
III	मौलिक अधिकार	12 - 35
IV **IV-A**	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य	36 - 51 51(A)
V	केंद्र सरकार	52 - 151
	अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ की न्यायपालिका अध्याय V - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	52 - 78 79 - 122 123 124 - 147 148 - 151
VI	राज्य सरकारें	152 - 237
	अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय V - उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	152 153 - 167 168 - 212 213 214 - 232 233 - 237
VII	राज्यों से सम्बंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (7 वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त)	238 निरस्त
VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 - 242
IX	पंचायतें	243 - 243(O)
IX-A	नगर पालिकाएं	243(P) - 243(ZG)
IX-B	सहकारी समितियां	243(ZH) - 243(ZT)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 - 244(A)
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 - 263
	अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 - 255 256 - 263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद	264 – 300(A)
	अध्याय I - वित्त अध्याय II - ऋण लेना अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264- 291 292 -293 294- 300 300-A
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 -307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 -323
	अध्याय I - सेवाएं अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 -314 315- 323
XIV-A	अधिकरण	323(A) - 323(B)
XV	निर्वाचन	324 - 329(A)
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 - 342
XVII	राजभाषा	343 -351
	अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ अध्याय III- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय IV- विशेष निदेश	343- 344 345 -347 348 -349 350 -351
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352 -360
XIX	विविध (प्रकीर्ण)	361 -367

XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369-392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393-395

अनुसूचियां संविधान में वे सूचियां हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

संख्या	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार (सीमाएँ)।
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियों पर भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान
	1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तीसरी अनुसूची	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
	1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वे हैं - असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
नौवीं अनुसूची	भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं और अन्य मामलों से निपटने वाली संसद के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282)। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि, 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती हैं।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 18 विषय हैं। यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

4 CHAPTER

संघ और उसके क्षेत्र

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के भाग I में अनुच्छेद 1- 4 I

अनुच्छेद	प्रावधान
1.	संघ का नाम और क्षेत्र
2.	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
3.	नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन
4.	अनुच्छेद 2 और 3 कस अंतर्गत निर्मित कानून जो कि I और IV अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन करने के लिए।

अनुच्छेद 1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

- भारत, राज्यों का एक संघ होगा न कि राज्यों का समूह।
- उनके राज्य और क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
- भारत का क्षेत्र -
    - राज्यों के क्षेत्र,
    - पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश,
    - ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है।

भारत संघ - कम व्यापक -

- इसमें केवल वे राज्य शामिल हैं जो संघीय व्यवस्था के सदस्य होने का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं और संघ के साथ शक्तियों का वितरण साझा कर रहे हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं।

भारत का क्षेत्र - अधिक व्यापक -

- इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
- राज्य और क्षेत्र - संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 'राज्यों के परिसंघ पर राज्यों के संघ को प्राथमिकता देने के लिए कहा कि -

- भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसे राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है
- राज्यों को महासंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है।
- देश एक एकल इकाई है और सुचारू प्रशासन के लिए राज्यों में विभाजित है।

अनुच्छेद 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

- नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है या **नियमों और शर्तों पर** क़ानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है जैसा कि **संसद उचित समझे।**
- **उदाहरण - संसद ने पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनमd की फ्रांसीसी बस्तियों, गोवा की** पुर्तगाली **बस्तियों और दमन** आदि को भारत में स्वीकार किया है।
- नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना जो भारत का हिस्सा नहीं थे/हैं।

अनुच्छेद 3. नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

- संसदीय कानून द्वारा हो सकती है -
    - किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाना।
    - किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाएँ।
    - किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाएं।
    - किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलें।
    - किसी भी राज्य का नाम बदलें।
- उपरोक्त परिवर्तनों का प्रस्ताव करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- विधेयक की सिफारिश करने से पहले, राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचारों के लिए इसे संबंधित राज्य विधायिका के पास भेजना होता है।
- **प्रक्रिया -**
    - राष्ट्रपति को विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल को एक समय सीमा के भीतर उसके विचार जानने के लिए भेजना चाहिए।
        - यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो विचार किया जाएगा कि विचार प्रस्तुत किए गए हैं।
    - राष्ट्रपति के पास समय सीमा बढ़ाने का अधिकार है।
    - संसद राज्य विधानमंडल की राय को स्वीकार करने या उस पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही

वह उन्हें निर्धारित/विस्तारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करे।

- हर बार विधेयक में संशोधन प्रस्तावित और स्वीकृत होने पर राज्य विधानमंडल को नए सिरे से संदर्भ देना आवश्यक नहीं है।
- हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, उनकी सीमाओं या शीर्षकों को बदलने वाले विधेयक को पेश करने से पहले उनके विधायिकाओं की राय की आवश्यकता नहीं होती है।
  - **उदाहरण** - मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, दीव और दमन के संबंध में विधेयक ऐसे विचारों को प्राप्त किए बिना संसद में पेश किए गए थे।
- साधारण बहुमत से स्वीकृत।

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता

- **100वां संविधान संशोधन अधिनियम (2015)** - भारत और बांग्लादेशी सरकारों के बीच समझौते और इसके प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ क्षेत्रों के भारत के अधिग्रहण और अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपने को प्रभावी बनाने के लिए।
- **भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव (विदेशी अन्तःक्षेत्र) दिए जबकि बांग्लादेश ने भारत को 51 एन्क्लेव दिए।**
- प्रतिकूल **होल्डिंग्स का हस्तांतरण और पहले से अचिह्नित 6.1 किलोमीटर** सीमा खंड का अंकन भी शामिल है।
- संशोधन ने **असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्र से संबंधित पहली अनुसूची में प्रावधानों को बदल दिया।**

अनुच्छेद 4. अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन और पूरक, प्रासंगिक और परिणामी मामलों के लिए प्रदान करते हैं।

- अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में संदर्भित किसी भी कानून में कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन के प्रावधान शामिल हो सकते हैं, साथ ही पूरक, प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान जो संसद आवश्यक समझे।
- संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इस तरह के किसी भी कानून को इस संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।
  - साधारण बहुमत और साधारण प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास

भारत की स्वतंत्रता के समय

- **कुल रियासतें - 552**
- **भारत में शामिल हुए - 549**
- **शामिल होने से इनकार - 3 (हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर) द्वारा लेकिन बाद में एकीकृत।**
  - **हैदराबाद** - पुलिस कार्रवाई के माध्यम से।
  - **जूनागढ़** - जनमत संग्रह के माध्यम से।
  - **कश्मीर** - विलय के साधन के माध्यम से।

- **स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन -**
  - ज्यादातर भाषाई कारकों से प्रेरित अतिरिक्त राज्यों की मांग।
  - संविधान निर्माताओं ने कई तरह के दृष्टिकोण रखे।
  - संविधान सभा के पास इतने बड़े पैमाने पर और प्रशासनिक रूप से जटिल विषय की जांच के लिए पर्याप्त समय नहीं था इसलिए एक आयोग बनाया गया।

1. **धर आयोग (भाषाई गत आयोग)**
   - वर्ष: जून 1948
   - अध्यक्ष - एस.के. धर (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)।
   - अन्य सदस्य - जगत नारायण लाल (वकील और संविधान सभा के सदस्य) और पन्ना लाल (सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा अधिकारी)।
   - रिपोर्ट प्रस्तुत - दिसंबर 1948
   - अनुशंसाएँ - राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए।
   - परिणाम - सामान्य निराशा के बाद कांग्रेस द्वारा एक और भाषाई प्रांत समिति की नियुक्ति।
2. **जे.वी.पी. समिति -**
   - वर्ष - दिसंबर 1948।
   - सदस्य - जवाहर लाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारामय्या ।
   - रिपोर्ट प्रस्तुत - 1949 ।
   - धर आयोग की स्थिति की पुष्टि की।
   - सिफारिशें - नए प्रांतों की स्थापना भाषाई आधार पर स्थगित करें और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दें।

26 जनवरी 1950 को राज्यों की व्यवस्था

चार स्तरीय वर्गीकरण -

- भाग ए - ब्रिटिश भारत के 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे।
- भाग बी - विधायिकाओं के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतों से मिलकर बनता है।
- भाग सी - ब्रिटिश भारत के 10 केंद्रीय रूप से प्रशासित तत्कालीन मुख्य आयुक्त के प्रांतों और कुछ पूर्ववर्ती रियासतों से मिलकर।
- भाग डी - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

भाषाई राज्यों की मांगों को जारी रखना -

- पोट्टी श्रीमुलु की मृत्यु के बाद पहला भाषाई राज्य, आंध्र प्रदेश का गठन अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी जिलों को विभाजित करके किया गया था।
  - अन्य भाषाई आधारित राज्यों की मांग को तेज किया।
- सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया।

3. **फजल अली आयोग-**
   - **वर्ष - दिसंबर 1953 ।**
   - **अध्यक्ष - फजल अलीक ।**
   - **सदस्य - एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर ।**
   - **रिपोर्ट प्रस्तुत** - सितंबर 1955 और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया। लेकिन 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को खारिज कर दिया ।
   - **सिफारिशें** - देश की राजनीतिक इकाइयों के किसी भी पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्राथमिक विचार माना जाना चाहिए।
     - साथ ही राज्यों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करने और 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का भी सुझाव दिया।
     - राज्यों के पुनर्गठन के लिए 4 प्रमुख कारकों की पहचान की -
       - देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना और मजबूत करना।
       - भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता।
       - वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार।
       - प्रत्येक राज्य के साथ-साथ पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 -

- राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 की सिफारिशों पर (1955 में प्रस्तुत रिपोर्ट)
- **राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) तथा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम (1956) द्वारा** भाग सी राज्यों को ख़त्म करके भाग ए और भाग बी राज्यों के बीच की दूरी को कम कर दिया गया।
- कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ जोड़ा गया, जबकि अन्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया।
- **1 नवंबर, 1956 -** 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।
  - राज्य - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
  - **केंद्र शासित प्रदेश** - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काडिव, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह, पांडिचेरी, मणिपुर और त्रिपुरा।

1956 के बाद बने नए राज्य -

- **गुजरात और महाराष्ट्र** - बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, बॉम्बे राज्य को विभाजित किया।
- **नागालैंड** - नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, एक अलग राज्य के रूप में स्थापित।
- **पंजाब और हरियाणा** - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, विभाजित पंजाब।
- **हिमाचल प्रदेश** - हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, जिसमें मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश शामिल है
- **उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971** - मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय के नए राज्यों और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई।
- **मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश** - मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 और अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त किया।
- **सिक्किम** - संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975।
- **गोवा** - गोवा राज्य अधिनियम, 1987 ने गोवा को एक अलग राज्य के रूप में शामिल किया।
- **छत्तीसगढ़** - 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का परिणाम।

- **उत्तरांचल** - उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 8 नवंबर, 2000 को, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल पहाड़ियों के उत्तरी जिले शामिल हैं।
- **झारखंड** - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा 15 नवंबर, 2000 को स्थापित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 18 दक्षिणी जिले और बिहार के संथाल परगना क्षेत्र शामिल हैं।
- **तेलंगाना** - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 2 जून 2014 को।

1956 के बाद बनाए गए नए केंद्र शासित प्रदेश -

- **पांडिचेरी - संविधान (14वां संशोधन) अधिनियम, 1962, 2006 का नाम बदलकर पुदुचेरी** कर दिया गया।
- **चंडीगढ़** - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966।
- **दादरा और नगर हवेली - संविधान (10वां संशोधन) अधिनियम, 1961।**
- **दमन और दीव - संविधान (12वां" संशोधन) अधिनियम, 1962 ।**
- **लक्षद्वीप** - लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह का परिवर्तित नाम, 1973।
- **जम्मू और कश्मीर और लद्दाख - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।**
  - **जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश** - कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी जिले।
  - **केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख - कारगिल और लेह जिले।**

वर्तमान में, 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं (2020 में अनुच्छेद 370 (J & K) को समाप्त करने के बाद की स्थिति।

Toppersnotes
Unleash the topper in you